# अध्याय 18

# याजकीय गोत्र: उनके सेवा-कार्य और भाग

गिनती के इस भाग में याजक से सम्बन्धित कार्य निरन्तर ध्यान का केन्द्र रहे हैं। बलिदानों पर चर्चा करने (अध्याय 15) और परमेश्वर के चुने हुए याजकों के विरुद्ध बलवा करने की कहानी के बाद (अध्याय 16; 17), अध्याय 18 याजकीय गोत्र की कुछ ज़िम्मेदारियों और विशेष अधिकारों पर चर्चा करता है। परमेश्वर ने याजकों को यह ज़िम्मेदारी दी कि वे निवासस्थान की पवित्रता बनाए रखने के द्वारा लोगों को परमेश्वर के क्रोध से बचा कर रखें। इस कार्य में लेवियों का यह काम था कि वे याजकों की सहायता करें। जैसा कि इन सेवाओं को और अन्य कार्यों को करने के लिए याजकों और लेवियों का यह पूर्ण कालीन समय का कार्य था इसलिए लोगों की यह ज़िम्मेदारी थी कि वे उनकी जीविका का भार उठाएँ (देखें *परिशिष्ट: याजक और लेवी*, पृष्ठ 149)।

यह अध्याय दो भागों में बाँटा जा सकता है। पहला भाग (18:1-20) याजकपद के सेवा कार्य और आशीषों का वर्णन करता है, हालांकि यह लेवियों की ओर भी संकेत करता है। दूसरा भाग (18:21-32) बताता है कि लेवियों का भरण पोषण किस प्रकार किया जाना चाहिए था।

## याजकपद के सेवा-कार्य (18:1-7)

**[1]फिर यहोवा ने हारून से कहा, "पवित्रस्थान के अधर्म का भार तुझ पर, और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा; और तुम्हारे याजककर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। [2]और लेवी का गोत्र, अर्थात् तेरे मूलपुरुष के गोत्रवाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझ से मिल जाएँ, और तेरी सेवा टहल किया करें, परन्तु साक्षीपत्र के तम्बू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। [3]जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तम्बू की भी वे रक्षा किया करें; परन्तु पवित्रस्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आएँ, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। [4]अतः वे तुझ से मिल जाएँ, और मिलापवाले तम्बू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें; परन्तु जो तेरे कुल का न हो वह तुम**

**लोगों के समीप न आने पाए। [5]और पवित्रस्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इस्राएलियों पर फिर कोप न भड़के। [6]परन्तु मैं ने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलापवाले तम्बू की सेवा करने के लिये तुम को और यहोवा को सौंप दिये गए हैं। [7]पर वेदी की और बीचवाले परदे के भीतर की बातों की सेवा के लिये तू और तेरे पुत्र अपने याजकपद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना; क्योंकि मैं तुम्हें याजकपद की सेवा दान करता हूँ; और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए।"**

**आयत 1.** जब पिछला अध्याय समाप्त होने पर था तब लोग चिल्ला रहे थे, "जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मारा जाता है। तो क्या हम सब के सब मर ही जाएँगे?" (17:13)। जैसे ही यह अध्याय आरम्भ हुआ तब परमेश्वर **हारून** से बात कर रहा था। उसने कहा, **"पवित्रस्थान के अधर्म का भार तुझ पर, और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा; और तुम्हारे याजककर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा।"**

इस्राएल ने परमेश्वर के क्रोध का अनुभव किया और अब वे जान गए थे कि उसकी उपस्थिति में आना कितना खतरनाक है। उनकी समस्या का निवारण हारून का याजकपद था। याजकों की यह ज़िम्मेदारी थी कि वे निवासस्थान की पवित्रता सुनिश्चित करें। अगर वे अपने काम में असफल होते हैं तो "अधर्म का भार" उन पर होगा; लोगों को नष्ट करने के स्थान पर परमेश्वर का दण्ड उन पर आएगा। रॉय गेन ने निष्कर्ष निकाला कि आयत 1 का "अर्थ यह है कि अगर एक या उससे अधिक गैर-लेवी निवासस्थान की पवित्रता को दूषित करते हैं तो दिव्य क्रोध अनाधिकृत लोगों के साथ साथ मात्र लेवियों के विरोध में ही भड़केगा।"[1] आयत 1 में व्यवस्था का यह प्रबन्धन, हालांकि इस पुस्तक में आरम्भ में पाए जाने वाले सत्यों पर निर्मित था (अध्याय 1; 3; 4) फिर भी यह नया था। परमेश्वर ने कुछ लोगों के कारण पूरी जाति को नष्ट करने की चेतावनी दी (16:21) परन्तु अब उसने "निवासस्थान पर बिना स्वीकृति घुस जाने की ज़िम्मेदारी के वर्गीकरण के बारे में" लोगों को याद दिलाया और याजकों और लेवियों की ज़िम्मेदारियों को विस्तृत किया जिससे "मात्र वे ही, न कि विशाल रुप से इस्राएल समुदाय, आगे इस प्रकार घुसपैठ के लिए यहोवा के हाथों मृत्यु का सामना करें (18:1, 3, 7, और विशेष रूप से 22-23)।"[2]

याजकीय गोत्र इस प्रकार सेवा करते थे कि ईश्वरीय दण्ड को सम्पूर्ण रूप में लोगों से अन्य दिशा की ओर मोड़ा जा सके। इस कारण याजकपद इस्राएल के लिए एक आशीष था जिससे लोगों को परमेश्वर के कोप से बचाया जा सके (18:5)।

**आयतें 2, 3. साक्षीपत्र के तम्बू के सामने** अपने कर्तव्य पूरे करने के समय याजकों की सहायता के लिए परमेश्वर ने **लेवी का गोत्र** उपलब्ध करवाया। उनका कार्य यह था कि वे याजकों के साथ **मिल जाएँ** और **जो उनको सौंपा गया है उसकी और सारे तम्बू की भी रक्षा** करने में याजकों की सेवा टहल करें। उसने लेवियों की

गतिविधियों को सीमाबद्ध कर दिया: वे लोग **पवित्रस्थान के पात्रों के और वेदी के समीप** नहीं आ सकते थे। इसका अर्थ यह है कि उन्हें इसकी स्वीकृति नहीं थी कि वे निवासस्थान में प्रवेश करें या इसमें रखी हुई पवित्र वस्तुओं को सँभालें। अगर वे ऐसा करते तो वे और याजक दोनों की मृत्यु निश्चित थी। जो पवित्र है वहाँ तक अनाधिकृत व्यक्ति के घुसपैठ करने पर याजक को किस प्रकार "अधर्म का भार" उठाना होता था (18:1) और ठीक उसी समय किस प्रकार वे किसी जाति की सहायता करते थे कि उन्हें परमेश्वर के कोप का अनुभव नहीं करना पड़े (18:5) इसका वर्णन करने में आयत 3 सम्भावित रुप से सहायता करती है। दोषी किसी भी प्रकार बच नहीं सकते थे; उनके लिए मृत्यु निश्चित थी। साथ ही, जो याजक या लेवी पाप होने के लिए स्वीकृति देते थे वे भी दोषी ठहरते थे; इसके लिए उनकी मृत्यु निश्चित थी। फिर भी, अब आगे इस्राएलियों पर परमेश्वर का कोप भड़कने वाला नहीं था (18:5); किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी पवित्र वस्तु को अपवित्र करने के कारण अब पूरे राष्ट्र को बदले का सामना करने की आवश्यकता नहीं थी।

**आयत 4.** एक अन्य प्रतिबन्ध भी लगाया गया: लेवियों के लिए आवश्यक था कि वे **तम्बू की सब सेवाओं के लिए** याजकों के साथ **मिल जाएँ**। जिस समय लेवी अपना काम कर रहे हों उस समय ऐसे व्यक्ति को **समीप आने या** उनके साथ मिल जाने की स्वीकृति नहीं थी जो **कुल का नहीं था**। हालांकि "बाहरी व्यक्ति" (זָר, *ज़र*) शब्द का किया गया अनुवाद प्रायः एक परदेशी, एक गैर इस्राएली व्यक्ति का अर्थ प्रदान करता है परन्तु यहाँ इसका अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति (चाहे वह इस्राएली हो या परदेशी) जो लेवी गोत्र से नहीं हो। आयत 7 बताती है कि अगर कुल से बाहर का व्यक्ति समीप आता था तो उसे मरना पड़ता था।

**आयत 5.** लेवियों की सहायता के साथ याजकों के लिए आवश्यक था कि वे **पवित्रस्थान और वेदी की रखवाली किया करें**। जब उन्होंने इन निर्देशों को पूरा किया तब **इस्राएलियों** के लिए **फिर** ऐसा कोई कारण नहीं था कि उन्हें परमेश्वर के **कोप** से डरना पड़े।

**आयतें 6, 7. मिलापवाले तम्बू की सेवा करने** के लिये **यहोवा को** सौंपते हुए **लेवी भाइयों** को **दान के रूप** में हारून को (याजकों को) दे दिया गया। वेदी की और बीचवाले परदे के भीतर की बातों के विषय में अर्थात निवासस्थान से जुड़ी हुई उनकी ज़िम्मेदारियों के सम्बन्ध में स्वयं याजकों को अपने सेवा कार्य पूरे करने थे। "वेदी" होम बलि की वेदी थी और "बीचवाले परदे के भीतर," परमपवित्र स्थान की ओर संकेत करता है। पवित्रस्थान के बारे में यहाँ पर कुछ भी बताया नहीं गया। **याजकपद**, **सेवा दान के रूप में** स्थापित किया गया; अगर कुल से बाहर का व्यक्ति याजकों की सीमा में घुसपैठ करता था तो उसे **मार डाला** जाना था।

इस पद का प्राथमिक बिन्दु यह जान पड़ता है कि याजकों के लिए यह आवश्यक था कि वे यह सुनिश्चित करते हुए इस्राएल पर परमेश्वर का कोप नहीं भड़कने दें कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति निवासस्थान के समीप नहीं आए या याजकीय गोत्र के लिए आरक्षित किसी भी प्रकार का **सेवा कार्य करने** का प्रयास नहीं करे। यह 18:1 का महत्व बताता दिखाई देता है: "पवित्रस्थान के सम्बन्ध

में," अगर कोई अनाधिकृत व्यक्ति निवासस्थान "के समीप" आए और "याजकपद के सम्बन्ध में," अगर कोई अयोग्य व्यक्ति याजकीय कार्य करने की खोज करे तो इसके लिए याजकों को "अधर्म का भार" उठाना था-या इसके लिए वे ज़िम्मेदार थे।

## याजकपद का भाग (18:8-20)

**8फिर यहोवा ने हारून से कहा, "सुन, मैं आप तुझ को उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूँ, अर्थात् इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएँ; जितनी हों उन्हें मैं तेरा अभिषेकवाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक़ करके दे देता हूँ। 9जो परमपवित्र वस्तुएँ आग में होम न की जाएँगी वे तेरी ही ठहरें, अर्थात् इस्राएलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्नबलि, सब पापबलि, और सब दोषबलि, जो वे मुझ को दें, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिये परमपवित्र ठहरें। 10उनको परमपवित्र वस्तु जानकर खाया करना; उनको हर एक पुरुष खा सकता है; वे तेरे लिये पवित्र हैं। 11फिर ये वस्तुएँ भी तेरी ठहरें, अर्थात् जितनी भेंटें इस्राएली हिलाने के लिये दें, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे-बेटियों को सदा का हक़ करके दे देता हूँ; तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। 12फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल, और उत्तम से उत्तम नया दाखमधु, और गेहूँ अर्थात् इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दें, वह मैं तुझ को देता हूँ। 13उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज, जो वे यहोवा के लिये ले आएँ, वह तेरी ही ठहरे: तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। 14इस्राएलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। 15सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहिलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिये चढ़ाएँ, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहिलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरें, परन्तु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहिलौठों को दाम लेकर छोड़ देना। 16और जिन्हें छुड़ाना हो, जब वे महीने भर के हों तब उनके लिये अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात् पवित्रस्थान के बीस गेरा के शेकेल के हिसाब से पाँच शेकेल लेके उन्हें छोड़ना। 17पर गाय, या भेड़ी, या बकरी के पहिलौठे को न छोड़ना; वे तो पवित्र हैं। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना, और उनकी चरबी को हव्य करके जलाना, जिस से यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध हो; 18परन्तु उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती, और दाहिनी जाँघ भी तेरी ही ठहरे। 19पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली यहोवा को दें, उन सभों को मैं तुझे और तेरे बेटे-बेटियों को सदा का हक़ करके दे देता हूँ: यह तो तेरे और तेरे वंश के लिये यहोवा की सदा के लिये नमक की अटल वाचा है।" 20फिर यहोवा ने हारून से कहा, "इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा, और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा; उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ।"**

जैसा कि याजक परमेश्वर के कोप से सुरक्षा उपलब्ध करवाते थे इसलिए यह आवश्यक था कि उनकी जीविका का भार इस्राएलियों के द्वारा उठाया जाए। आयतें

8 से 20 बताती है कि यह भार किस प्रकार उठाया जाए।

**आयत 8.** परमेश्वर ने **हारून** से कहा कि **उठाई हुई भेंटें** जो उसके सम्मुख एक **भाग** के रूप में लायी गयीं उन्हें उसने याजकों और उनके **पुत्रों** के लिए **सदा का हक़** ठहरा दिया है। अनेक अन्य पद भी याजकों के द्वारा लोगों से भेंटे स्वीकार करने के बारे में बताते हैं।[3]

**आयतें 9-18.** इन **परमपवित्र वस्तुओं** से याजकों को जो मिलना था उसके बारे में परमेश्वर ने विशेष विवरण दिया:

1. सब **अन्नबलि**, सब **पापबलि**, और सब **दोषबलि** का भाग जो वेदी पर होम नहीं किया गया (**आग में होम न की जाएँगी**; 18:9, 10)।
2. **हिलाए जाने की भेंटें** (18:11)। "हिलाए जाने की भेंटें" मेल बलि का वह भाग तैयार करती थीं जो याजकों को खाने के लिए दी जाती थी। मेल बलि का शेष भाग उस आराधक के द्वारा खाया जाता था जो उसे लाता था।
3. सब कुछ की **पहली उपज -** दाखमधु, भूमि और पशुओं के साथ साथ प्रत्येक पहिलौठा पुत्र में पहली उपज (18:12, 13, 15-18)।[4]
4. **जो कुछ अर्पण किया जाए -** परमेश्वर के सम्मुख ली गई शपथ के परिणामस्वरूप जो कुछ दिया जाए (18:14)।

बलियों की इस सूची में से होम बलि को अलग कर दिया गया क्योंकि पूरा पशु आग के द्वारा समाप्त हो जाता था और इससे याजकों को कोई भाग नहीं मिलता था।

याजकीय कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्राप्त होने वाले भाग की इस सूची के साथ कुछ नियम थे जिनका इसके सम्बन्ध में ध्यान रखना होता था। पहला, "अन्नबलि," "पापबलि," और "दोषबलि[यों]" में से याजकों का भाग याजक के परिवार में **हर एक पुरुष** के द्वारा खाया जा सकता था (18:10)। दूसरा, याजक के घराने के किसी भी सदस्य के द्वारा हिलाए जाने की भेंटों में से खाया जा सकता था जो **शुद्ध** हो (18:11)। भोजन **पवित्र** माना जाता था क्योंकि वह परमेश्वर को सौंपा गया था (18:9, 10); इस कारण, मात्र वे ही लोग इसे खा सकते थे जो "शुद्ध" हों। तीसरा, "पहली उपज" के सम्बन्ध में विशेष नियम दिए गए। याजक के परिवारों में कोई भी जन जो **शुद्ध** हो वह उनमें से खा सकता था (18:13)। **मनुष्य के पहिलौठों** को छुड़ाने के लिए परमेश्वर को इसका दाम (याजकों को देने के द्वारा) अदा करना होता था। जो राशि बतायी गयी अर्थात **पाँच शेकेल** बालक का दाम बताती थी (18:15, 16; देखें 3:47)। परमेश्वर के सम्मुख बलि के रुप में एक शुद्ध पशु का **पहिलौठा (गाय, या भेड़ी, या बकरी)** चढ़ाना होता था। याजक के लिए यह आवश्यक था कि वह पशु **के लहू को वेदी पर छिड़क दे, और ...** [उसकी] **चरबी को हव्य करके जला दे ... यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध हो**; परन्तु इसका माँस याजकों को दिया जाता था।

**आयत 19.** एक संक्षिप्त कथन बार बार परमेश्वर की योजना दुहराता है। यह कहता है कि **यहोवा की सदा के लिये नमक की अटल वाचा** के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख लायी जाने वाली **पवित्र वस्तुओं की भेंटें सदा का हक़** ठहरें। जैसा "नमक" का प्रयोग सामान्यता संरक्षक के रूप में किया जाता था, ऊपरी तौर पर यह "वाचा" के सदा के स्वभाव का चिन्ह प्रदान करता था (देखें लैव्य. 2:13; 2 इतिहास 13:5)। यह आवश्यक था कि यह वाचा मूसा और हारून के दिन के लोगों के द्वारा और उनके **वंशजों** के द्वारा बनाई रखी जाए। जिस प्रकार नमक नष्ट नहीं किया जा सकता उसी प्रकार याजकपद के पालन पोषण के सम्बन्ध में नियम थे।

**आयत 20.** परमेश्वर ने **हारून** को प्रतिज्ञा के देश में लेवियों के **भाग** के बारे में बताते हुए उसके साथ अपना "करारनामा" समाप्त किया। यह आवश्यक था कि बारह गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र को कनान में सम्पत्ति में से एक भाग मिले; परन्तु याजकों के साथ लेवियों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसके स्थान पर उन्हें पूरे राष्ट्र में से अड़तालीस नगर प्राप्त हुए (35:1-8)। हालांकि हारून को कनान **देश में कोई भाग नहीं मिलने वाला था** इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वह अपने भविष्य के बारे में चिन्ता नहीं करे: **"उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ।"** भूमि के समान ही मूल्य रखते हुए याजकों को यह जानने के बाद बहुत अधिक आश्वासन प्राप्त हुआ होगा कि परमेश्वर उनका "भाग" और "अंश" है। जब तक इस्राएली बताई गई भेंटें लाते रहे तब तक याजकों की आवश्यकताएँ पूरी होती रहीं।

## लेवियों के लिए प्रतिफ़ल-दसमांश (18:21-32)

**21"फिर मिलापवाले तम्बू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले मैं उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर के देता हूँ। 22और भविष्य में इस्राएली मिलापवाले तम्बू के समीप न आएँ, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे, और वे मर जाएँ। 23परन्तु लेवी मिलापवाले तम्बू की सेवा किया करें, और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें; यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे; और इस्राएलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा। 24क्योंकि इस्राएली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ, इसी लिये मैं ने उनके विषय में कहा है, कि इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले।" 25फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 26"तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुम को तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिये एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। 27और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिये ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न, या रसकुण्ड में का दाखरस गिना जाता है। 28इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से, जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना; और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। 29जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग, जो पवित्र ठहरा है, उसे यहोवा के लिये उठाई हुई भेंट करके**

**पूरी पूरी देना। 30इसलिये तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिये खलिहान में के अन्न, और रसकुण्ड के रस के तुल्य गिना जाएगा; 31और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलापवाले तम्बू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। 32और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब उसके कारण तुम को पाप न लगेगा। परन्तु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ।"**

आरम्भ में इस अध्याय (18:1-7) में परमेश्वर ने लेवियों के कार्य के बारे में बताया। वहाँ पर ध्यान का केन्द्र याजकों के सहायकों के रूप में उनकी भूमिका पर था। अध्याय (18:21-32) का अन्तिम भाग उनकी सेवा से जो भाग उन्हें मिलना था उस पर बल देता है। साथ ही याजकों के भरण पोषण के लिए अपने प्रतिफल का कुछ भाग परमेश्वर को अदा करने के लिए लेवियों की ज़िम्मेदारी के बारे में बताता है।

**आयत 21.** यह आयत संकेत देते हुए कि यह पद किसके बारे में है, एक प्रकार के विषय वाक्य के साथ आरम्भ होती है: **"फिर मिलापवाले तम्बू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले मैं उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर के देता हूँ।"**

**आयतें 22, 23.** परमेश्वर ने संक्षिप्त रूप से पुनरावलोकन किया कि वहाँ की सेवा में क्या क्या शामिल किया जाना होगा। पहला, उसने बल दिया कि लेवी सुनिश्चित करें कि अन्य इस्राएली **मिलापवाले तम्बू के समीप न आएँ, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप** [लगे]**, और वे मर जाएँ**। लेवियों को, तब, सुरक्षाकर्मियों के समान कार्य करना था जिससे किसी भी व्यक्ति को **मिलापवाले तम्बू** के पास पहुँचने से दूर रखें।

दूसरा, लेवियों के लिए यह आवश्यक था कि वे **मिलापवाले तम्बू की सेवा किया करें** और मिलापवाले तम्बू को समेटने, उसका वहन करने और फिर से खड़ा करने में याजकों की सहायता करते हुए उनका सहयोग करें। ऐसा इसलिए किया जाना था कि अगर वे गैर लेवियों को पवित्रस्थान के निकट आने देते हैं तो उन्हें उनके **अधर्म का भार** उठाना होगा; गलत तरीके से पवित्रस्थान तक पहुँचने वाले लोगों के साथ वे भी दोषी गिने जाते थे।

**आयत 24.** लेवियों के कार्य का प्रतिफल क्या होना चाहिए था? **निज भाग** के रूप में उन्हें भूमि प्राप्त नहीं हुई परन्तु **इस्राएलियों के द्वारा जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देना था** वह था।

**आयतें 25-28.** परमेश्वर ने लेवियों से कहा कि उन्हें इस्राएलियों से जो दशमांश प्राप्त होता है उसका दशमांश वे याजकों को दें, **उसमें से यहोवा के लिये एक उठाई हुई भेंट ... दशमांश का दशमांश दें**। अन्य शब्दों में, जिस प्रकार इस्राएलियों को अपने निज भाग (कनान देश) के फल में से दशमांश देना था उसी प्रकार लेवियों को भी अपने निज भाग (इस्राएलियों के दशमांश) में से दशमांश

देना था। चाहे उन्हें कुछ भी, कहीं पर भी प्राप्त हो उन्हें **यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को देनी थी**।

**आयत 29.** लेवियों के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें जो कुछ भी प्राप्त हो **उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग** परमेश्वर को **पूरा पूरा दें**। "उत्तम," חֵלֶב *(चेलेब)* के लिए इब्रानी शब्द का अक्षरश अर्थ है "चिकना"; यह सबसे उत्तम भाग की ओर संकेत करता है। यह शब्द आयत 12 में भी देखने को मिलता है जहाँ पर यह इस्राएलियों के दशमांश के रूप में "उत्तम" तेल, ताजा दाखमधु और अन्न का वर्णन करता है। परमेश्वर ने सदैव यह माँग रखी कि उसके लोग उसे अपना सबसे उत्तम भाग दें (उत्पत्ति 4:2-5; मलाकी 1:6-14)।

**आयतें 30, 31.** जब लेवियों ने अपना दशमांश दे दिया तब वे तथा उनका घराना जो कुछ बचा - अर्थात **खलिहान में के अन्न, और रसकुण्ड के रस** - उसे बिना किसी प्रतिबन्ध के कहीं पर भी खाने से मुक्त हो गए क्योंकि **मिलापवाले तम्बू की जो सेवा वे करने वाले थे उसका बदला** [उनके] **लिए यही ठहरा**।

"खलिहान" वह स्थान था जहाँ पर खेत से काटे गए अन्न की डालियों को ले जाया जाता था। उन्हें बैलों के द्वारा दाँवने के यन्त्र से काटा जाता था और इस प्रकार गेहूँ के दानों को भूसे से अलग किया जाता था। खलिहान एक प्रकार का कठोर, समतल स्थान था जो ऐसी स्थिति में होता था जहाँ पर मन्द हवा गेहूँ फटकने की प्रक्रिया में भूसे को अपने साथ उड़ा कर ले जाए और पीछे गेहूँ के भारी खाने योग्य दानों को छोड़ दे।

"रसकुण्ड" निचला बर्तन था जिसमें दाखमधु बनाने की प्रक्रिया में अंगूर के रस को एकत्रित किया जाता था। हौज कहलाने वाला ऊपरी बर्तन वह है जहाँ अंगूरों को रखा जाता था कि उन्हें पाँवों से रौंदा जा सके। तब अंगूरों से रस निकल कर निचले कुण्ड तक एक नाली के द्वारा पहुँचता था। हौज और रसकुण्ड प्रायः पत्थर से काट कर बनाए जाते थे। अन्य समय में उन्हें भूमि में खोदकर, पत्थरों की पंक्ति बनाकर और फिर लीप कर बनाया जाता था।

**आयत 32.** परमेश्वर ने लेवियों को सुनिश्चित किया कि जब वे इस्राएल के द्वारा दिए गए दशमांश का प्रयोग सही प्रकार से करते हैं तो इसका उन पर पाप नहीं लगेगा। इसी के साथ ही अगर वे उसका दुरुपयोग करते हैं और **इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र** करते हैं तो वे एक मुख्य अपराध के दोषी होंगे और **मर जाएँगे**।

## अनुप्रयोग

**उस समय याजकों के भरण पोषण का भार उठाया जाता था,**

**वर्तमान मे प्रचारकों को भुगतान किया जाता है (अध्याय 18)**

जिस समय पुरानी वाचा के अन्तर्गत याजकों और नई वाचा के अन्तर्गत प्रचारकों के बीच अनेक अन्तर हैं वहीं पर एक महत्वपूर्ण समानता भी है। नया

नियम सिखाता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन के सेवकों के रूप में सेवकाई करते हैं उनका भरण पोषण उन लोगों के द्वारा किया जाए जिन्हें वे सिखाते हैं (मत्ती 10:9, 10; 1 कुरि. 9:9-14), यह ठीक वैसा ही है जैसा याजकों और लेवियों को उनके काम के लिए प्रतिफल दिया जाता था (देखें *परिशिष्ट: दशमांश देना,* पृष्ठ 157)।

### "तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ" (18:20)

याजकों के सम्बन्ध में परमेश्वर ने हारून से कहा, "इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा।" इसके स्थान पर उसने यह घोषणा करते हुए कुछ अच्छा प्रस्ताव रखा, "उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ" (18:20)।

जब परमेश्वर याजकों के लिए स्वयं को एक "अंश" के रूप में बताता है तब उसके कहने का अर्थ क्या है? वर्तमान में परमेश्वर के बच्चों के रूप में उससे हमें प्राप्त होने वाला अंश क्या है?

*परमेश्वर किस अर्थ में याजकों का अंश था?* जब इस्राएली प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की तैयारी में थे तब परमेश्वर ने निर्देश दिए कि वह देश किस प्रकार बाँटा जाना चाहिए। ढाई गोत्रों को यरदन के पूर्व में भूमि प्राप्त हुई। अन्य साढ़े नौ गोत्रों को कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद यरदन का पश्चिमी देश प्राप्त होना था। गिनती में प्रकट किया गया है कि उस देश को किस प्रकार बाँटा जाना था। विशाल गोत्रों को देश का विशाल भाग मिलना था और उस देश को चिट्ठी डालने के द्वारा वितरित करना था (26:52-56)। परिणामस्वरूप, उत्तम भाग प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गोत्र के पास एक समान अवसर था।

यहोशू की पुस्तक बताती है कि कनान देश पर किस प्रकार विजय प्राप्त की गई। तब पुस्तक का बाद का भाग (अध्याय 13-20) वर्णन करता है कि उस देश को किस प्रकार अलग अलग गोत्रों में बाँटा गया। देश में से बाँटे जाने के समय लेवी गोत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया। याजकीय गोत्र के रूप में, लेवियों को आसपास की भूमि में से अड़तालीस शहर दिए गए (35:7; यहोशू 21:41)।

फिर भी, कृषि से सम्बन्धित समाज में वे शहर और भूमि का छोटा सा भाग याजकों और लेवियों की भलाई का ज़िम्मा लेने के लिए शायद पर्याप्त नहीं होते। परिणामस्वरूप परमेश्वर ने लेवियों और याजकों को उन लायी हुई वस्तुओं में से भाग दिया जो शेष इस्राएली परमेश्वर के सम्मुख लाते थे। अन्य गोत्रों के द्वारा उठाई जाने वाली फ़सल का दशमांश लेवियों को प्राप्त होता था; बदले में वे लोग प्राप्त दशमांश का दशमांश याजकों को देते थे। मिलापवाले तम्बू में लायी जाने वाली अधिकतर बलियों का एक भाग याजकों को प्राप्त होता था। परमेश्वर ने उन्हें स्वीकृति देते हुए उनके लिए प्रबन्ध किया कि उसके सम्मुख लायी जाने वाली भेंटों में से उन्हें एक भाग प्राप्त हो (देखें यहोशू 13:14)।

गिनती 18:20 में परमेश्वर ने याजकों को आश्वासन दिया कि उन्हें भूमि में से कोई भाग प्राप्त नहीं होगा फिर भी वह उनके लिए सब कुछ उपलब्ध करवाएगा। उन्हें इसके लिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने कहा, "तेरा

भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ।" परमेश्वर कह रहा था कि वह याजकों की देखभाल करेगा।

वास्तव में सब याजक, लेवी और इस्राएली परमेश्वर पर निर्भर थे। अगर परमेश्वर लोगों को आशीष नहीं दे तो दशमांश देने के लिए कोई फ़सल भी प्राप्त नहीं होगी। बलि चढ़ाने के लिए कोई पशु नहीं होंगे। याजकों को मात्र इतना करना था कि वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और विश्वास करें कि वह उनकी देखभाल करेगा।

*परमेश्वर किस अर्थ में हमारा अंश है?* इस समय जबकि कलीसिया में हारून के याजकपद के समान याजकपद नहीं है फिर भी 18:20 में परमेश्वर के निर्देश मसीही लोगों के लिए दो प्रकार से अर्थ रखते हैं।

पहला, परमेश्वर हमें एक मीरास देता है। क्या आपको कभी कोई मीरास प्राप्त हुई है? जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे माता पिता से किसी प्रकार का कोई अंश प्राप्त होगा। जहाँ तक मैं जानता था, हमारे परिवार के पास ऐसा कुछ भी मूल्यवान नहीं था जिसे वे भावी पीढ़ी तक स्थानान्तरिक कर सकें। फिर भी 2003 में मेरी माता की मृत्यु के बाद और 2008 में मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे भाई को और मुझे, हमारे माता पिता से एक मीरास प्राप्त हुई। हमने उस अंश को और उससे प्रकट होने वाले प्रेम को सराहा।

मसीही के रूप में क्या हमारे पास एक अंश है? निम्नलिखित पवित्रशास्त्र पदों पर ध्यान दें:

> आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, कि हम परमेश्वर की सन्तान हैं; और यदि सन्तान हैं तो वारिस भी, वरन् परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं (रोम. 8:16, 17)।
>
> … पहले से ठहराए जाकर मीरास बने (इफि. 1:11)।
>
> … पवित्र आत्मा … हमारी मीरास का बयाना है (इफि. 1:13, 14)।
>
> और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो … पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है (इफि. 1:18)।
>
> … तुम्हें इस के बदले प्रभु से मीरास मिलेगी (कुलु. 3:24)।
>
> … उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिये हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनन्त मीरास को प्राप्त करें (इब्रा. 9:15)।
>
> … हमारे प्रभु यीशु मसीह … हमें जीवित आशा के लिये नया जन्म दिया … एक अविनाशी, और निर्मल, और अजर मीरास के लिये जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में रखी है (1 पतरस 1:3, 4)।

अब हम परमेश्वर की सन्तान बन गए हैं; हम उसके परिवार के सदस्य है; इस कारण हम मीरास में एक अनन्त घर प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर हमारा अंश है तो

इसमें वह हमें उसके साथ स्वर्ग में एक घर का आश्वासन देता है और इसके लिए आवश्यक है कि हम उसके प्रति विश्वासयोग्य बनें रहें (प्रका. 2:10)।

दूसरा, हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मीरास है। जैसा परमेश्वर ने याजकों से कहा - "तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ" - यह हमारे लिए भी लागू होता है क्योंकि हम पुराने नियम के याजकों के समान ही बहुत अधिक उसी समान स्थिति में हैं।

मसीही लोग परमेश्वर का "राज-पदधारी याजकों का समाज" (1 पतरस 2:9) है। फिर, इस संसार में "परदेशी और यात्री" होने के कारण वास्तव में हम इस भूमि के "स्वामी" नहीं हैं (1 पतरस 2:11)। हम इस प्रकार गाते हैं, "यहाँ हम भटकने वाले यात्री हैं" और "यह संसार मेरा घर नहीं है।"[5] तब हम इस संसार में संतोष और आश्वासन की खोज कैसे कर सकते हैं?

इसका उत्तर, पुराने नियम में, परमेश्वर का कथन है, "तेरा अंश मैं ही हूँ।" उसके लोगों को चाहिए कि वे उस पर निर्भर हों। नए नियम के सम्बन्ध में परमेश्वर ने कहा है,

> यह सुनिश्चित करें कि आपका स्वभाव लोभरहित हो, और जो आपके पास है उसी पर संतोष करें; क्योंकि उसने आप ही कहा है, "मैं तुझे कभी न छोड़ूँगा, और न कभी तुझे त्यागूँगा," इसलिये हम निडर होकर कहते हैं, "प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूँगा" (इब्रा. 13:5, 6; देखें 1 तीमु. 6:17)।

यीशु ने निर्देश दिया, "इसलिये पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएँ भी तुम्हें मिल जाएँगी" (मत्ती 6:33)।

क्या हमें आश्वासन चाहिए कि परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा? लोग हमें कहते हैं कि अगर हमारे पास पर्याप्त धन है, अगर हमारे पास भूमि है और हम सम्पत्ति एकत्रित करके रखते हैं तो हम भविष्य के बारे में निडर हो सकते हैं। अनेक मसीही लोग इस प्रकार का ज्ञान अपना लेते हैं। जब तक उनके लिए जीवन सही चलता है तब तक यह ज्ञान काम करता है। अन्त में फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है जो सही नहीं हो। तब पृथ्वी पर धन एकत्रित करने के विषय में हम यीशु के शब्दों की सच्चाई सीखते हैं: "कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और … चोर सेंध लगाते और चुराते हैं" (मत्ती 6:19)। धन को आनन्द और आशा का आधार बनाना मूर्खता है। भौतिक सम्पत्ति से आने वाला संतोष खोखला है और सदैव के लिए बना नहीं रहता।

हमें परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए और उसे अपनी मीरास के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यीशु ने सिखाया, "अपने लिये पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो … परन्तु अपने लिये स्वर्ग में धन इकट्ठा करो …" (मत्ती 6:19-21)। हमारे पास चाहे अधिक हो या कम, फिर भी हम सन्तुष्ट रह सकते हैं। हम एक आशा रख सकते हैं; हम "परमेश्वर की शान्ति, जो सारी समझ से परे है," उसका आनन्द ले सकते हैं (फ़िलिप्पियों 4:7)।

*निष्कर्ष।* अपने माता पिता या अन्य किसी रिश्तेदार से मीरास पाना एक

आशीष की बात है। फिर भी मसीही व्यक्ति के रुप में पृथ्वी पर हम अन्य किसी व्यक्ति की तुलना में जितनी भी मीरास प्राप्त करते हैं वह बहुत ही विशाल है। हमारी मीरास स्वर्ग में है। फिर परमेश्वर हमारी मीरास है। हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं।

---

समाप्ति नोट्स

[1]रॉय गेन, *लैव्यव्यवस्था, गिनती*, द NIV एप्लिकेशन कमेन्ट्री (ग्रान्ड रेपिड्स, मिशिगन: जोनडर्वन, 2004), 652. [2]टिमोथी आर. एशली, *द बुक ऑफ़ गिनती,* द न्यू इंटरनेशनल कमेन्ट्री ऑन द ओल्ड टेस्टमेंट (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. एर्डमैंस पब्लिशिंग कम्पनी, 1993), 337. [3]देखें निर्गमन 29:26-28; लैव्य. 2:3, 10; 6:16-18, 26, 29; 7:14, 32-36; 10:14, 15; 22:12; गिनती 5:9; 2 इतिहास 31:10-14; यहेजकेल 44:30. [4]पहिलौठे की भेंटों के बारे में देखें निर्गमन 13:2; 22:29, 30; लैव्य. 27:26, 27. [5]आई. एन. कारमेन, "यहाँ पर हम मात्र भटकने वाले यात्री हैं," *विश्वास और स्तुति के गीत*, संकलनकर्ता एंव संपादक एल्टन एच. हावर्ड (वेस्ट मोनरो, लुसियानाः हावर्ड पब्लिशिंग कम्पनी, 1996)। "यह संसार मेरा घर नहीं है," के बोल पारम्परिक हैं; मूल लेखक अज्ञात है.